

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य योजना के अन्तर्गत पाताल गंगा से गणार्ई मोल्टा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गयी है यदि इस परियोजना हेतु मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

नाम-लाटा, पुना, धर्म आदि
ग्राम-रागाई

उपरोक्त के अतिरिक्त भी यदि अन्य ग्रामवासी की भूमि उक्त प्रयोजन हेतु ली जाती है तो ग्राम सभा यह बचन देती है कि उक्त भूमि किसी आपत्ति के विभागीय दरों में उपलब्ध करा दी जायेगी।

सदस्य G. M. S.
क्षेत्र पं.-गणार्ई-मोल्टा-पगनी
विकास खण्ड - जोशीमठ



सेक्शन.....पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु सिविल/नाप भूमि ग्राम-रागाई
पटवारी वृत्त-लागाई तहसील जोशीमठ जिला चमोली के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	खाता खतौनी सं०	खसरा नं०	लिया गया रकवा	भूमि
1	2	3	4	5
1-		140	0.021	श्रेणी 1 (क)

G. M. S.
अमीन
प्रा०ख० लो०नि०वि०
गोपेश्वर चमोली।

G. M. S.
कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
गोपेश्वर चमोली।

G. M. S.
सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
गोपेश्वर चमोली।

G. M. S.
अधिशाली अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
गोपेश्वर चमोली।

G. M. S.
राजस्व उप निरीक्षक

G. M. S.
तहसीलदार
तहसीलदार
जोशीमठ।

G. M. S.
उपजिलाधिकारी
जोशीमठ।
उपजिलाधिकारी
जोशीमठ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य योजना के अन्तर्गत पाताल गंगा से गणाई मोल्टा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गयी है यदि इस परियोजना हेतु मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

राजेन्द्र सिंह नाम. राजेन्द्र सिंह पंवार पं० बचन सिंह
ग्राम.....- राणाई मीलीवाड़ा

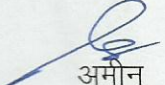
उपरोक्त के अतिरिक्त भी यदि अन्य ग्रामवासी की भूमि उक्त प्रयोजन हेतु ली जाती है तो ग्राम सभा यह बचन देती है कि उक्त भूमि किसी आपत्ति के विभागीय दरों में उपलब्ध करा दी जायेगी।

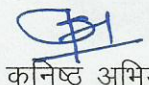
सदस्य G. V. V.
क्षेत्र पं.- गणाई-मोल्टा-पगनी
विकास खण्ड - जोशीमठ



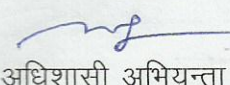
सेक्शन.....पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु सिविल/नाप भूमि ग्राम.....मीलीवाड़ा
पटवारी वृत्त.....राणाई तहसील जोशीमठ जिला चमोली के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	खाता खतौनी सं०	खसरा नं०	लिया गया रकवा	भूमि
1	2	3	4	5
L-		314	0.035	शेती 1(क)

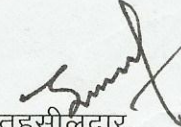

अमोल
प्रा०ख० लो०नि०वि०
गोपेश्वर चमोली।

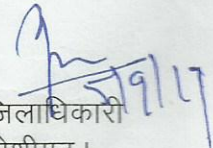

कनिष्ठा अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
गोपेश्वर चमोली।


सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
गोपेश्वर चमोली।


अधिशाली अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
गोपेश्वर चमोली।


राजस्व उप निरीक्षक


तहसीलदार
तहसीलदार
जोशीमठ।


उपजिलाधिकारी
जोशीमठ।
उप जिला अधिकारी
जोशीमठ

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि राज्य योजना के अन्तर्गत पाताल गंगा से गणाई मोल्टा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गयी है यदि इस परियोजना हेतु मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

प्रदीप लती दिनेश चक्र
जिसेक दिनेश

नाम: **वंशीधर, दिनेश, प्रदीप आदि,**
ग्राम: **गणाई**

उपरोक्त के अतिरिक्त भी यदि अन्य ग्रामवासी की भूमि उक्त प्रयोजन हेतु ली जाती है तो ग्राम सभा यह बचन देती है कि उक्त भूमि किसी आपत्ति के विभागीय दरों में उपलब्ध करा दी जायेगी।

सदस्य **G. M. S.**
क्षेत्र पं.-गणाई-मोल्टा-पगनी
विकास खण्ड -जोशीमठ



किमी-01 सेक्शन.....पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु सिविल/नाप भूमि ग्राम:- **नैलीवास**
पटवारी वृत्त: **लंगसी**.....तहसील जोशीमठ जिला चमोली के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	खाता खतौनी सं०	खसरा नं०	लिया गया रकवा	भूमि
1	2	3	4	5
	44	44	0.02444	श्रेणी 1(क)
	45	45	0.023	

अमीन
प्रा०ख० लो०नि०वि०
गोपेश्वर चमोली।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
गोपेश्वर चमोली।

सहायक अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
गोपेश्वर चमोली।

अधिशाली अभियन्ता
प्रा०ख० लो०नि०वि०
गोपेश्वर चमोली।

राजस्व उप निरीक्षक

तहसीलदार
तहसीलदार
जोशीमठ।

उपजिलाधिकारी
जोशीमठ।
उपजिलाधिकारी
जोशीमठ

समझौता ज्ञापन

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 गोपेश्वर (कार्यदायी संस्था)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नाप भूमिधर जिनकी भूमि तहसील जोशीमठ के अर्न्तगत पाताल गंगा से गणाई मोल्टा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज वर्ष 2018 के 12 महीने की 08 तारीख को निष्पादित किया गया है।

- 1- यह सहमति हो गयी है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।
- 2- यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु जायी जानी है। उनको वर्तमान स्वीकृत सर्किल दरों पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा तथा भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग के नाम किया जायेगा।
- 3- यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

कार्यदायी संस्था की ओर से हस्ताक्षर

नाम भूमिधर

पिता का नाम

हस्ताक्षर

नाम- इं0 डी0एस0 रावत

पदनाम- अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 गोपेश्वर

1- सुरजीव लाल गोपेश्वर

2- उतशीव के मार

3- बन्नीलाल गोपेश्वर

4- डी0बी0बी0

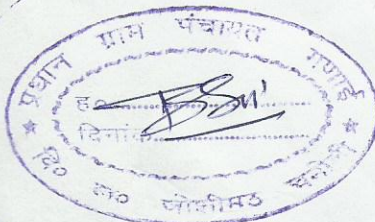
5- अगपीबी महेमान

6- बन्नीलाल गोपेश्वर

7- राजेन्द्र सिंह

8- सुन्दर सिंह

9- निजप सिंह



सदस्य 04/08
क्षेत्र पं.-गणाई-मोल्टा-पगनी
विकास खण्ड-जोशीमठ

सुरजीव लाल गोपेश्वर
उतशीव के मार
बन्नीलाल गोपेश्वर
डी0बी0बी0
अगपीबी महेमान
बन्नीलाल गोपेश्वर
राजेन्द्र सिंह
सुन्दर सिंह
निजप सिंह